UPSC PRELIMS 2025

CRASH COURSE

CURRENT AFFAIRS

18 MONTHS

THE HINDU | दैनिक जागरण | The Indian EXPRESS | Hindustan Times

RAVI SIR

Topic 1- लोक सभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता

लोक सभा चुनाव एवं आदर्श आचार संहिता

Result Mitra

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता (MCC) को कानूनी आधार प्राप्त है और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
2. लोक सभा का अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें 530 स्थान राज्यों के लिए और 20 स्थान केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित होते हैं।
3. आपातकाल की स्थिति में लोक सभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद यह अवधि छह माह से अधिक नहीं हो सकती।

सही उत्तर चुनें:

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2 और 3

C. केवल 1 और 3

D. केवल 3

संदर्भ

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने 16 मार्च को लोक सभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct: MCC) लागू हो गई है।
- लोक सभा चुनाव, 2024 के बारे में
- भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार, 18वीं लोक सभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे।
- पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। मतगणना 4 जून को होगी। इस बार पंजीकृत मतदाताओं की संख्या लगभग 97 करोड़ है।

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक सभा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च सीमा 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी है।
- संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार लोक सभा, संसद के दो सदनों में से एक है। लोक सभा का गठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है।
- लोक सभा में परिसीमन अधिनियम के अनुसार अधिकतम संख्या 550 है। 530 स्थानों से प्रतिनिधित्व होगा, जबकि 20 स्थान केंद्र-शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करेंगे।
- वर्तमान में लोक सभा सदन की सदस्य संख्या 543 है। लोक सभा का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष का होता है।

- हालाँकि, जब आपातकाल लागू हो, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होने के पश्चात किसी भी मामले में यह अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी।
- लोक सभा अध्यक्ष लोक सभा का पीठासीन अधिकारी होता है। जी. वी. मावलंकर संसद के प्रथम लोक सभा अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति लोक सभा एवं राज्य सभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- लोक सभा 17 अप्रैल, 1952 को अस्तित्व में आई। इसकी प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को आयोजित की गई थी। राज्य सभा 3 अप्रैल, 1952 को अस्तित्व में आई।

Result Mitra

आदर्श आचार संहिता

- भारतीय निर्वाचन आयोग का आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव से पहले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- इन नियमों में भाषण, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पोंस्टरबाजी, चुनाव घोषणापत्र की सामग्री, जुलूस एवं सामान्य आचरण से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं।
- इसका उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। एम.सी.सी. चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है।

आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत प्रतिबंध

- एम.सी.सी. में सामान्य आचरण, बैठकों, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल एवं चुनाव घोषणापत्र से संबंधित आठ प्रावधान हैं।

सत्ता दल के लिए निम्नलिखित निर्देश हैं:

- आचार संहिता लागू होने के पश्चात केंद्र अथवा राज्य के सत्ता दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करें।
- सत्ता दल द्वारा ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके।

- सरकारी खर्चे की कीमत पर विज्ञापन देने या उपलब्धियों के प्रचार के लिए आधिकारिक जन मीडिया का उपयोग करने से भी बचना चाहिए।
- मंत्रियों को आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए एवं चुनावी लाभ हेतु आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- सत्ता दल प्रचार के लिए सरकारी परिवहन या मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकता है।
- चुनावी बैठकें आयोजित करने के लिए मैदान आदि जैसे सार्वजनिक स्थान और हेलीपैड के उपयोग जैसी सुविधाएँ विपक्षी दलों को उन्हीं नियमों व शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जिन पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल द्वारा किया जाता है।

Result Mitra

- सत्तारूढ़ दल की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में मतदाताओं को प्रभावित करने वाली कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं कर सकती।
- राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनके कार्य रिकॉर्ड के आधार पर की जा सकती है।
- मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी जाति एवं सांप्रदायिक भावनाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- चुनाव प्रचार के लिए मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों या किसी अन्य पूजा स्थल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना या उनका प्रतिरूपण भी वर्जित है।
- मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी प्रतिबंधित है।

- इस 48 घंटे की अवधि को 'चुनावी चुप्पी' के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता को वोट डालने से पहले घटनाओं पर विचार करने के लिए अभियान-मुक्त वातावरण की अनुमति देना है।

वैधानिक स्थिति

- एम.सी.सी. नैतिक निर्देश हैं जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के ई.सी.आई. के अभियान के हिस्से के रूप में विकसित हुए हैं।
- यह प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का परिणाम था। इसका कोई वैधानिक समर्थन या आधार नहीं है।
- ऐसे में एम.सी.सी. का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ संहिता के किसी भी खंड के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

- इसके सभी प्रावधान स्वैच्छिक हैं। निर्वाचन आयोग इनके प्रवर्तन के लिए नैतिक मंजूरी या निंदा का उपयोग करता है।
- ई.सी.आई. किसी राजनेता या दल को एम.सी.सी. के कथित उल्लंघन के लिए स्वतः संज्ञान या किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति की शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर सकता है।
- एक बार नोटिस जारी होने के बाद व्यक्ति या पार्टी को लिखित रूप में जवाब देना होता है।
- ऐसे में व्यक्ति या दल गलती स्वीकार कर बिना शर्त माफी मांग सकता है या आरोप का खंडन कर सकता है।
- कालांतर में दोषी पाए जाने पर निर्वाचन आयोग उस व्यक्ति या दल को निंदा पत्र दे सकता है।

स्वीप (SVEEP)

- व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (Systematic Voters' Education and Electoral Participation : SVEEP) भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता फैलाने और मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसके अंतर्गत 2009 से निर्वाचन आयोग भारत के मतदाताओं को तैयार करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी ज्ञान से लैस करने की दिशा में काम कर रहा है।

निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा - 2024 के लिए दिशा-निर्देश

- राजनीतिक दलों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना
- 537 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विरुद्ध कार्रवाई (284 असूचीबद्ध; 253 निष्क्रिय)
- ऑनलाइन वार्षिक वित्तीय और योगदान रिपोर्ट के लिए एकीकृत चुनाव प्रबंधन प्रणाली पोर्टल
- प्रचार अभियान के गिरते स्तर में कमी लाना
- दिव्यांगजनों के प्रति सम्मानजनक चर्चा
- चुनाव प्रचार में बच्चों के उपयोग पर रोक

- संगठनात्मक कामकाज में पारदर्शिता के लिए सलाह

राजनीतिक दलों को निर्देश

- ऐसे राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना जो बाँटने के बजाय एकजुटता प्रेरित करें
- मुद्दे आधारित प्रचार
- नफरत फैलाने वाला कोई भाषण नहीं
- कोई जाति या धार्मिक अपील नहीं
- निजी जीवन के किसी भी पहलू की कोई आलोचना नहीं
- असत्यापित एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचना
- समाचार के रूप में विज्ञापनों का दिखावा नहीं

- प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने/अपमान करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर नियंत्रण
- स्टार प्रचारकों पर मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी

भ्रामक खबरों के प्रचार से बचना

- प्रचार करने से पहले सत्यापित करना
- राजनीतिक दलों को जिम्मेदार सोशल मीडिया व्यवहार सुनिश्चित करने की सलाह
- फर्जी खबरों के प्रवर्तकों से मौजूदा कानूनों के अनुसार सख्ती से निपटा जाना
- आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(बी) द्वारा प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारियों को गैर-कानूनी

Result Mitra

सामग्री हटाने का अधिकार

- फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना : फर्जी खबरों के खिलाफ त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
- नकली-मिथक बनाम वास्तविकता पर निर्वाचन आयोग से सक्रिय संचार
- वैद्योगिकी का लाभ उठाना
- वोटर हेल्पलाइन एप
- ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना
- मतदाता सूची में अपना नाम जाँचना
- मतदान केंद्र विवरण देखना
- अपने बूथ स्तर अधिकारी से जुड़ना
- इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र डाउनलोड करना

सी-विजिल एप

- उल्लंघन की रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एवं समाधान के लिए एकल एप
- 100 मिनट की समयावधि में प्रतिक्रिया
- गुमनाम रूप से शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा

अपने उम्मीदवार को जानें

- उम्मीदवार का शपथ पत्र पोर्टल और 'अपने उम्मीदवार को जानें' ऐप पर उपलब्ध कराना
- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना आवश्यक
- राजनीतिक दलों के लिए निर्दिष्ट चैनलों पर सार्वजनिक रूप से जानकारी का अनिवार्य प्रकाशन

सुविधा पोर्टल

नामांकन एवं शपथ पत्र दाखिल करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल

- उम्मीदवार बैठकों, रैलियों आदि के लिए अनुमति मांगने के लिए पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

समान अवसर सुनिश्चित करना

- संधारणीय चुनाव की ओर एक कदम (चुनाव मशीनरी एवं राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश)

अपशिष्ट प्रबंधन

- एकल-उपयोग प्लास्टिक से पूरी तरह बचें
- अलग संग्रहण डिब्बे एवं उचित साइनेज सुनिश्चित करें
- प्रत्येक प्रकार के कचरे के लिए पर्याप्त निपटान सुविधा सुनिश्चित करें
- स्थानीय अपशिष्ट प्रबंधन/पुनर्चक्रण सुविधाओं के साथ भागीदारी करें
- कागज़ का न्यूनतम उपयोग
- मतदाता सूची और चुनावी सामग्री के लिए कागज़ का उपयोग कम से कम करें

Result Mitra

- ई-बुक्स और ई-डॉक्यूमेंट्स के उपयोग पर बल दें
- डबल-साइड प्रिंटिंग, लेआउट अनुकूलन सुनिश्चित करें
- संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को प्रोत्साहित करें
- कार्बन पदचिह्न को कम करना
- परिवहन के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना
- कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करें
- अभियान आयोजनों में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित करें
- अधिकारियों और मतदाताओं द्वारा तय की गई दूरी को कम करने के लिए मतदान स्थान को समेकित करें

भारतीय निर्वाचन आयोग

- भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
- मूल रूप में आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय था। पहली बार 16 अक्तूबर, 1989 को दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए।
- 1 अक्तूबर, 1993 से बहु-सदस्यीय आयोग की अवधारणा चलन में है, जिसमें बहुमत से निर्णय लेने की शक्ति होती है।

- वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
- राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इनका कार्यकाल, छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक होता है।
- ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्राप्त करते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधारों पर पद से हटाया जा सकता है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधान सभाओं और देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है।
- वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। लोक सभा चुनाव-2024 से पूर्व दो निर्वाचन आयुक्तों ज्ञानेश कुमार एवं सुखबीर सिंह संधू को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है।